छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2010
(माघ-26, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07(कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए। प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 03 एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- विधान सभा परिसर के **बी** ब्लाक में स्टॉल क्रमांक 21, 22 एवं 24 में पुस्तकों के चयन हेतु पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कृपया माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन कर लाभ उठाएं।

(12.01 बजे से 1.03 तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3.पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने - विद्युत अधिनियम, 2003(क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक 29/सी.एस.ई.आर.सी./2009, दिनांक 15 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम 2009 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 30/सी.एस.ई.आर.सी./2009, दिनांक 20 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम 2009 तथा

2. श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का पैंतालिसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09, तथा

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाए गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2008-2009,

4. श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने - कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के-

(i) तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004

(ii) चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005

(iii) पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, तथा

5. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के-

(i) तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2004-2005

(ii) चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2005-2006

(iii) पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2006-2007

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में अव्यवस्था होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में दर्ज पद क्रमांक 04 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न होने,

(2) श्री भीमा मण्डावी, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा के गांवों में विद्युतीकरण न होने से आम लोगों को परेशानी होने, तथा

(3) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री भीमा मण्डावी

(2) श्री दूजराम बौद्ध

(3) महंत रामसुंदर दास

7. सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- सभा में दिनांक 15 जनवरी, 2010 के प्रश्न पर चर्चा के दौरान आसंदी के निर्देशानुसार पंचायत मंत्री ने प्रतिवेदन आसंदी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2010 की निम्नलिखित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया:-

वित्तीय कार्य			निर्धारित समय
वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु इस प्रकार समय का निर्धारण किया गया है -			
1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे 30 मिनट
2.	श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री	-	03 घंटे
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री	-	03 घंटे 30 मिनट
4.	श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री	-	03 घंटे
5.	श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री	-	03 घंटे
6.	श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री	-	03 घंटे
7.	श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री	-	03 घंटे
8.	श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री	-	03 घंटे
9.	श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री	-	03 घंटे
10.	श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री	-	03 घंटे
11.	श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री	-	03 घंटे
12.	सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट

विधि विषयक कार्य		**निर्धारित समय**
(1)	भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010	15 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 2010 से शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी, 2010 तक सभा की बैठकें नहीं होंगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 2010 (माघ 27, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा